

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 820 / 2010

संस्थापन दिनांक 21.12.2010

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—रामरूप पुत्र कृपाराम शर्मा उम्र 58 साल
 - 2—लीलाधर पुत्र कलियान शर्मा उम्र 19 साल
 - 3—राजेन्द्र पुत्र रामरूप शर्मा उम्र 27 साल
 - 4—संतोष पुत्र रामरूप शर्मा उम्र 24 साल,
 - 5—अमृतलाल पुत्र रामरूप शर्मा उम्र 28 साल
- निवासीगण ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324 / 34, 341, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.10.10 को 10:30 बजे नदीग्राम सिरसौदा सार्वजनिक स्थान पर पंकज अ0सा06 को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया तथा पंकज अ0सा06 की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रसरण में आरोपी लीलाधर ने पंकज अ0सा06 को सरिया मारा एवं आरोपी अमृतलाल ने पंकज अ0सा06 को कुल्हाड़ी मारी जिससे पंकज अ0सा06 के पैर एवं सिर में चोटें पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा पंकज अ0सा06 को जिस दिशा की ओर जाने का अधिकार था उसका रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा पंकज अ0सा06 को संत्रास पहुंचाने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.10 को पंकज अ0सा06 नदी पर नहाने गया था उसके साथ उसका भाई दिनेश अ0सा04

भी था तब आरोपी अमृतलाल कुल्हाड़ी लिए और आरोपी संतोष, राजेन्द्र, व रामरूप लाठी लिए और आरोपी लीलाधर सरिया लिए आये और पंकज अ0सा06 का रास्ता रोक लिया। अमृतलाल ने पुरानी रंजिश पर पंकज अ0सा06 के सिर में कुल्हाड़ी मारी आरोपी संतोष, राजेन्द्र, रामरूप लाठियों से मारपीट करने लगे जिससे पंकज अ0सा06 के शरीर में जगह-जगह चोटें आईं और उन्होंने पंकज अ0सा06 को भागने से रोक लिया। लीलाधर ने सरिया मारा जो पंकज अ0सा06 के पैर में लगा और वह गिर गया। सभी आरोपीगण मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां दे रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे तब दिनेश अ0सा04 व गौरव अ0सा02 ने बीच बचाव कराया। घटना की सूचना पंकज अ0सा06 द्वारा मुकेश अ0सा01 को फोन पर दी गयी। तत्पश्चात फरियादी मुकेश शर्मा अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना गोहद में अप0क्र0 212/10 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या घटना दिनांक 15.10.10 को 10:30 बजे नदीग्राम सिरसौदा सार्वजनिक स्थान पर पंकज अ0सा06 को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने पंकज अ0सा06 की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रसरण में पंकज अ0सा06 को सरिया एवं कुल्हाड़ी मारकर चोटें पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने पंकज अ0सा06 को सदोष अवरोध कारित किया ?
 4. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने पंकज अ0सा06 को संत्रास पहुंचाने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. पंकज अ0सा06 ने कथन किया है कि दिनांक 16.10.16 से 5-6 वर्ष पूर्व कार्तिक माह की घटना है। वह नदी से नहाकर निकल रहा था तब अमृतलाल कुल्हाड़ी लेकर, लीलाधर सरिया लेकर और राजेन्द्र, संतोष व रामरूप लाठी लेकर आये और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अमृतलाल ने सिर में कुल्हाड़ी मारी लीलाधर ने दांये पैर में सरिया मारा और फिर सब आरोपीगण लाठियों से मारने लगे। उसके पीठ व सिर में ज्यादा लगी थी। फिर उसे होश नहीं रहा कि किसने कितना मारा और उसे बेहोशी के कारण यह भी नहीं मालूम कि किसने बचाया व कौन उठाकर ले गया।
6. दिनेश अ0सा04 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2010 में अक्टूबर माह में प्रातः 10 बजे वह गौरव अ0सा02 के साथ नदी पर नहाने गया था

जहां पंकज अ0सा06 और मुकेश अ0सा01 पहले से नहा रहे थे। उसे वहां पता चला कि अमृतलाल, राजेन्द्र, संतोष, रामरूप और लीलाधर का झगड़ा हो गया है। लीलाधर पर सरिया व अमृतलाल के पास फर्शा था। रामरूप, राजेन्द्र, संतोष के पास लाठी थी और वह सभी पंकज अ0सा06 की मारपीट करने लगे क्योंकि उनकी पुरानी रंजिश थी। अमृतलाल ने पंकज अ0सा06 को फर्शा मारा और लीलाधर ने सरिया मारा शेष सभी लोगों ने लाठियों से मारा और मारपीट करके वहां से भाग गये। गौरव अ0सा02 व उसने पंकज अ0सा06 को बचाने के लिए चिल्लाया था। वह इसलिए चिल्लाया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि गांववाले आ जायेंगे।

7. गौरव अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। दिनांक 16.07.13 से तीन वर्ष पूर्व 15 अक्टूबर 2010 को वह दिनेश अ0सा04 और पंकज अ0सा06 नदी में नहाने गये थे। तब पांचों आरोपीगण आ गये। अमृतलाल के पास कुल्हाड़ी थी जो उसने पंकज अ0सा06 को मारी जिससे पंकज अ0सा06 गिर गया और पंकज अ0सा06 ने उठने की कोशिश की तो तीन आरोपियों ने पंकज अ0सा06 की लाठियों से मारपीट की। लीलाधर ने पंकज अ0सा06 के पैर में सरिया मारा। गांव के लोग इकट्ठा हो गये थे फिर वहां पंकज अ0सा06 को गोहद थाना ले गये जहां से उसे अस्पताल ले गये थे।

8. मुकेश अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 07.06.13 से ढाई साल पूर्व उसके भाई पंकज अ0सा06 ने फोन पर बताया था कि लाठी और फर्श से मार दिया है तब वह ग्राम गिंगरखी से सिरसौद आ गया था और नदी से पंकज अ0सा06 को उठाकर लाया था। पंकज अ0सा06 ने बताया था कि लीलाधर ने पंकज अ0सा06 को पैर में सरिया मारा और अमृतलाल ने सिर में कुल्हाड़ी मारी थी व रामरूप और कल्याण ने भी लाठी से मारपीट की थी। पंकज अ0सा06 ने बताया था कि संतोष, रामरूप, अमृतलाल व लीलाधर ने मारपीट की थी। उसके बाद उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शा मौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद वह पंकज अ0सा06 को अस्पताल ले गया था जहां उपचार हुआ था।

9. साक्षी डॉ० धीरज अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.10.10 को सी.एच.सी. गोहद पर मेडीकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ था तभी मुकेश अ0सा01, पंकज अ0सा06 निवासी सिरसौदा को घायल अवस्था में उपचार के लिए लाया गया उपचार के दौरान आहत के कटा हुआ घाव सिर में बांयी तरफ पैराइटल रीजन में जिसका आकार 7गुणा2गुणा2से.मी. आकार का था जिसमें से बहुत ज्यादा खून आ रहा था तथा आहत खून की उल्टी कर रहा था। तथा कटा हुआ घाव बांयी तरफ सिर में बांये कान के पास था जिसका आकार 8गुणा2गुणा2 से.मी. था जिसमें से बहुत खून आ रहा था। तथा कटा हुआ घाव बांये सिर में मध्य सिर के पास था जिसका आकार 7गुणा2गुणा1 से.मी. था खरोंच बांये कंधे पर था जिसका आकार 6गुणा3 से.मी. था। दांतों के काटने का निशान बांये कंधे पर था। पीठ में लालगू निशान चार थे जिनका आकार सामान्य से थे जो 6गुणा3 से.मी. के थे। तथा लालगू निशान बांये पैर में नीचे की तरफ था जिसका आकार 10गुणा6 से.मी. था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 1, 2, 3 कठोर एवं धारदार वस्तु से आना प्रतीत होती है। चोट नंबर 4,6,7 कठोर एवं भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होती है। चोट क्रमांक 5 दांतों से आना प्रतीत होती है। आहत की स्थिति खराब होने के

कारण उसको ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। उक्त सभी चोटें 6 घण्टे के भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार की गयी मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी केशव अ0सा05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.10.10 को थाना गोहद में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा अप0क0 212/10 की विवेचना में घटनास्थल पहुंचकर मुकेश शर्मा अ0सा01 के कथन उसके बताये अनुसार लेख किए थे। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दौराने विवेचना मुकेश अ0सा01, दिनेश अ0सा04, जगमोहन, गौरव अ0सा02, पंकज अ0सा06 के बयान उनके बताये अनुसार लिए थे। दौराने विवेचना आरोपी रामरूप शर्मा, लीलाधर, राजेन्द्र, संतोष, अमृतलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-4 लगायत प्र0पी-8 तैयार किए थे जिन पर क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने विवेचना प्र0पी-9 का तलाशी पंचनामा तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. पंकज अ0सा06 ने पैरा 2 में यह स्वीकार किया है कि उसके और उसके पिता रामअख्यार के विरुद्ध आरोपी रामरूप पर रिपोर्ट पर मुकद्दमा चला था। यह भी कथन किया है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के उपर तीन केस चल रहे हैं सभी केसों में मुकेश अ0सा01, गौरव अ0सा02, दिनेश अ0सा04, जगमोहन गवाह हैं और पैरा 3 में स्वीकार किया है कि जगमोहन ने आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व में भी गवाही दी थी। पंकज अ0सा06 ने पैरा 4 में इंकार किया है कि उसने व उसके पिता ने आरोपी रामरूप की पिटाई की थी। दिनेश अ0सा04 ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि उनकी आरोपीगण से रंजिश चली आ रही है और पंकज अ0सा06 की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध 3-4 केस चल रहे हैं। उसने पंकज अ0सा06 द्वारा मुकेश अ0सा01, जगमोहन, और वह स्वयं साक्षी है और इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है कि आरोपी रामू की रिपोर्ट पर उसके पिता रामअख्यार व पंकज अ0सा06 के विरुद्ध भी मामला चल रहा है फिर पैरा 4 में स्वीकार किया है कि रामरूप की रिपोर्ट के आधार पर रामअख्यार व पंकज अ0सा06 के विरुद्ध मुकद्दमा चल रहा है। गौरव अ0सा02 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि पंकज अ0सा06 और आरोपीगण की पुरानी रंजिश है और पंकज अ0सा06 ने आरोपीगण के विरुद्ध 2-3 मुकद्दमे चलाये हैं और सभी मुकद्दमों में पंकज अ0सा06 की ओर से वह स्वयं और मुकेश अ0सा01 और जगमोहन गवाह हैं और पैरा 3 में स्वीकार किया है कि वह स्वयं गिंगरखी का निवासी है और पैरा 8 में यह जानकारी होने से इंकार किया है कि रामअवतार और पंकज अ0सा06 के विरुद्ध रामरूप की रिपोर्ट के आधार पर कई मामले दर्ज हैं और कथन किया है कि झगड़ा रंजिश के कारण ही हुआ था। मुकेश अ0सा01 ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी रामरूप की रिपोर्ट के आधार पर भी पंकज अ0सा06 के विरुद्ध के विरुद्ध केस संचालित है। केशवदत्त अ0सा05 ने भी पैरा 4 में स्वीकार किया है कि फरियादी व आरोपीगण पर एक दूसरे के विरुद्ध क्रॉस केस चल रहे हैं।

12. अतः उपरोक्त सभी साक्षीगण ने पंकज अ0सा06 व आरोपीगण के मध्य पूर्व की रंजिश होना स्वीकार की है। पंकज अ0सा06 ने स्वयं अपने पिता के विरुद्ध आरोपी रामरूप की रिपोर्ट पर भी मुकद्दमा चलना बताया है अतः उभयपक्ष के मध्य पूर्व की रंजिश होना स्वीकृत है। परन्तु अभियोजन मामले के अनुसार पुरानी

रंजिश के कारण ही उक्त घटना घटित हुई है। अतः रंजिश घटना का हेतुक स्पष्ट करता है। परन्तु इस हेतु मिथ्या परिवाद की संभावना समाप्त करने के लिए साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना भी आवश्यक है। पंकज अ0सा06 ने स्वीकार किया है कि अन्य प्रकरणों में भी मुकेश अ0सा01, गौरव अ0सा02, दिनेश अ0सा04 व जगमोहन ही साक्षी हैं। इसी तथ्य को दिनेश अ0सा04 व गौरव अ0सा02 ने भी स्वीकार किया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि आरोपीगण को मिथ्या फंसाने के लिए सभी प्रकरणों में समान साक्षियों का उल्लेख किया जाता है। बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति महत्वपूर्ण है परन्तु एक साक्षी की एक प्रकरण से अधिक प्रकरण में साक्ष्य होने पर यह स्वमेव निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उसके द्वारा प्रत्येक प्रकरण में दी गयी साक्ष्य मिथ्या है।

13. पंकज अ0सा06 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसके साथ 2-4 लोग भी नहा रहे थे। जगमोहन मौके पर भैंस चरा रहा था अन्य लोग भी भैंस व चौपे चरा रहे थे। पंकज अ0सा06 ने पैरा 4 में इंकार किया है कि घटना के समय 10-20 लोग थे और स्वतः कथन किया है कि 2-4 लोग थे। पंकज अ0सा06 के कथनानुसार मुकेश अ0सा01 उसकी मौसी का लड़का ग्राम गिंगरखी का है। गौरव अ0सा02 भी ग्राम गिंगरखी का है और दिनेश अ0सा04 उसका खास भाई है। दिनेश अ0सा04 ने स्वीकार किया है कि पंकज अ0सा06 उसका खास भाई है और मुकेश अ0सा01 उसके मौसा का लड़का है और गौरव अ0सा02 उसके मामा का लड़का है जो दोनों गिंगरखी के रहने वाले हैं। दिनेश अ0सा04 ने पैरा 3 में कथन किया है कि जब वह मौके पर पहुंचे तब 2-4 लोग इकट्ठा हो गये थे जिनमें से एक का नाम राकेश था और अन्य का नाम उसे याद नहीं है। गौरव अ0सा02 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि पंकज अ0सा06 उसके फूफा का लड़का है। पंकज अ0सा06 की मौसी का लड़का मुकेश अ0सा01 है और दिनेश अ0सा04 भी पंकज अ0सा06 का खास भाई है। गौरव अ0सा02 ने पैरा 6 में कथन किया है कि गांव के 15 लोग इकट्ठा हो गये थे उन लोगों के नाम वह नहीं जानता है। मुकेश अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि पंकज अ0सा06 एवं दिनेश अ0सा04 उसके मौसेरे भाई हैं। अतः घटना के सभी प्रत्यक्ष साक्षीगण से फरियादी ने परस्पर नातेदारी होना स्वीकार किया है। अतः सभी साक्षीगण आहत पंकज अ0सा06 के ही परिवार के सदस्य हैं। पंकज अ0सा06 ने घटना के समय अन्य 2-4 लोगों की भी उपस्थिति बतायी है जिसे दिनेश अ0सा04 ने भी स्वीकार किया है। लेकिन कोई भी साक्षी स्वतंत्र साक्षी का नाम स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ रहा है। अतः मामले में स्वतंत्र साक्षियों के कथन का अभाव है। लेकिन न्यायदृष्टांत **वीरेन्द्र पोद्दार बनाम बिहार राज्य एआईआर 2011 सु.को. 233** में प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता और ऐसे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक छानबीन करना चाहिए।

14. गौरव अ0सा02 ने पैरा 4 में कथन किया है कि पंकज अ0सा06 ने उसे व मुकेश अ0सा01 को घटना वाले दिन फोन किया था तब वह और मुकेश अ0सा01 गिंगरखी से ग्राम सिरसौद आ गये थे। उसे यह याद नहीं है कि वह झगड़े के बाद आया या पहले और यह भी याद नहीं है कि फोन पर बात उसकी हुई या मुकेश अ0सा01 की। लेकिन फिर कथन किया है कि चोट उसके सामने लगी थी और पैरा 5 में कथन किया है कि पंकज अ0सा06 ने उसके सामने मुकेश अ0सा01 को फोन नहीं किया और गिंगरखी से मुकेश अ0सा01 उसके साथ नहीं

आया। वह 2-3 दिन पहले ही ग्राम सिरसौद में था। अतः गौरव अ0सा02 ने पैरा 4 व पैरा 5 में परस्पर विपरीत कथन किए हैं जिस संबंध में फिर कथन किया है कि मुकेश अ0सा01 के साथ ग्राम सिरसौद आने की बात गलत है। अतः गौरव अ0सा02 ने घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में परस्पर विरोधाभासी दिए गए कथन से उपस्थिति संदेहास्पद होती है। गौरव अ0सा02 ने पैरा 8 में कथन किया है कि जब वह नदी पर नहा रहा था उस समय झगड़ा नहीं हुआ था। झगड़ा नदी पर नहाने के बाद हुआ था। झगड़े वाली जगह कौन सी है वह नहीं बता सकता। अतः गौरव अ0सा02 को घटनास्थल का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। गौरव अ0सा02 ने पैरा 6 में कथन किया है कि वह पंकज अ0सा06 को वहीं छोड़कर भाग गया था और फिर गोहद आ गया था। वह गोहद वैसे ही आ गया था परन्तु उसने गोहद आकर पंकज अ0सा06 के बारे में जानकारी नहीं ली। अतः गौरव अ0सा02 आहत पंकज अ0सा06 को घटनास्थल पर ही छोड़कर आ गया यह तथ्य स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और स्वयं ही गोहद आ गया हो यह भी निराधार होने से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। गौरव अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में पंकज अ0सा06 को गोहद थाने ले जाना बताया है कि लेकिन पैरा 6 में कथन किया है कि वह पंकज अ0सा06 के साथ गोहद थाने नहीं गया था और उक्त बात उसने गलत लिखाई है। कथन प्र0डी-2 में भी पंकज अ0सा06 को एफ.आई.आर. लिखाने साथ लाये जाने के तथ्य उल्लिखित होने पर भी लिखाये जाने से इंकार किया है। अतः गौरव अ0सा02 की साक्ष्य पर निर्भर रहकर उसे प्रत्यक्ष साक्षी विश्वसनीय रूप से नहीं माना जा सकता है। अतः उसकी घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।

15. दिनेश अ0सा04 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसने पंकज अ0सा06 को दो खेत दूर से पीटते हुए देख लिया था। दो खेत एक-एक बीघा के हैं। घटना के समय वह डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर थे। दिनेश अ0सा04 ने पैरा 4 में कथन प्र0डी-3 में दो खेत दूर से घटना देखना लिखाये जाने से इंकार किया है जोकि कथन प्र0डी-3 में उल्लिखित भी नहीं है दिनेश अ0सा04 ने स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा उस समय आरोपीगण भाग चुके थे। यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय गौरव अ0सा02 उसके साथ था और यह भी स्वीकार किया है कि जब वह लोग पहुंचे तब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था बल्कि पहले ही हो चुका था। दिनेश अ0सा04 ने पैरा 3 में इस तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है कि वह घटनास्थल पर तथा मौके पर नहीं था। मुकेश अ0सा01 ने पैरा 3 में कथन किया है कि दिनेश शर्मा अ0सा04 घर पर था और उसे घर से लेकर आये थे। अतः फरियादी मुकेश अ0सा01 ने भी घटना के समय दिनेश अ0सा04 का घर पर होना बताया है क्योंकि मुकेश अ0सा01 ने ग्राम सिरसौद घटना के बाद ही पहुंचना बताया है जहां से उसने दिनेश अ0सा04 को ले जाना बताया है। दिनेश अ0सा04 ने घटना के समय गौरव अ0सा02 का भी साथ होना बताया है जबकि गौरव अ0सा02 की घटनास्थल पर उपस्थिति विश्वसनीय प्रतीत नहीं हुई है। यद्यपि दिनेश अ0सा04 ने घटना डेढ़ सौ मीटर की दूरी से देखा जाना बताया है। लेकिन यह भी बताया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब आरोपीगण भाग चुके थे। जबकि पंकज अ0सा06 ने लड़ाई के पांच मिनट बाद होश खोना बताया है। अतः उक्त अवधि में भी दिनेश अ0सा04 का डेढ़ सौ मीटर दूर होकर घटना देखने के उपरांत भी उपस्थित होने के पूर्व ही आरोपीगण का भाग जाना बताया है जोकि

विश्वसनीय नहीं है दिनेश अ0सा04 ने पैरा 2 में मुकेश अ0सा01 का भी घटनास्थल पर उपस्थित होना बताया है जबकि मुकेश अ0सा01 ने ही प्रतिपरीक्षण में घटना स्वयं के समक्ष होने से इंकार किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों से दिनेश अ0सा04 की उपस्थिति भी घटनास्थल पर विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होती है।

16. मुकेश अ0सा01 ने पैरा 3 में भी कथन किया है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी। मुकेश अ0सा01 ने कथन किया है कि जब वह सिरसौद आया तब पंकज अ0सा06 नदी पर पड़ा था और अकेला था। वह सीधे घटनास्थल नदी पर गया था घर पर नहीं गया। जबकि कथन प्र0पी-1 में उल्लिखित है कि वह पंकज अ0सा06 के घर गया जहां महिलाओं ने उसे घटना के बारे में बताया तब वह नदी पर गया था। उक्त विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर यह साक्षी कारण बताने में असमर्थ रहा है। घटनास्थल से आरोपी का घर अत्यधिक दूरी पर था इस संबंध में बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा नहीं है। अतः उक्त लोप तात्त्विक प्रतीत नहीं होता है।

17. पंकज अ0सा06 ने पैरा 3 में कथन किया है कि रिपोर्ट किसने लिखाई थी उसे जानकारी नहीं है। उसे गोहद अस्पताल में ही होश आया था और होश आने पर उसने मुकेश अ0सा01 को फोन किया था और पैरा 4 में कथन किया है कि लड़ाई शुरू होने के पांच मिनट बाद ही उसका होश खो गया था। उसे कौन उठाकर लाया था उसे नहीं पता। पंकज अ0सा06 ने पैरा 4 में कथन किया है कि एफ.आई.आर. कितने बजे लिखाई थी वह नहीं बता सकता। दिनेश अ0सा04 ने पैरा 3 में कथन किया है कि जब वह पहुंचे तब पंकज अ0सा06 बेहोश था और थाने पर उसे होश आ गया था वह थाने में साथ था तब रिपोर्ट मुकेश अ0सा01 ने लिखाई थी। मुकेश अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह दिन के 11 बजे आ गया था और नदी से पंकज अ0सा06 को लाने में 10-15 मिनट का समय लगा था फिर पंकज अ0सा06 को बिठाकर वह थाने लाया था और थाने पर पंकज अ0सा06 को होश आ गया था। तब थाने पर होश आने पर उसने घटना के बारे में बताया था कि किसने उसे कहां मारा फिर रिपोर्ट लिखाई थी और रिपोर्ट पंकज अ0सा06 ने नहीं लिखवाई। बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रकरण में एफ.आई.आर. प्र0पी-1 आहत द्वारा नहीं लिखाई गयी है और मुकेश अ0सा01 द्वारा रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखाई गयी है जिसके समक्ष घटना घटित नहीं हुई है। पंकज अ0सा06 ने घटनास्थल पर ही स्वयं का बेहोश होना बताया है और अस्पताल में होश आना बताया है। जबकि दिनेश अ0सा04 व मुकेश अ0सा01 ने थाने पर पहुंचकर पंकज अ0सा06 का होश में आना बताया है। चिकित्सक डॉ० धीरज गुप्ता अ0सा03 ने भी पैरा 2 में कथन किया है कि पंकज अ0सा06 परीक्षण के दौरान बेहोश नहीं था अर्द्ध बेहोशी की अवस्था में था। अतः चिकित्सक ने भी पंकज अ0सा06 का चिकित्सीय परीक्षण के समय पूर्णतः बेहोश होना नहीं बताया है। अतः थाने पर ही पंकज अ0सा06 को होश आ जाना स्पष्ट होता है। परन्तु मुकेश अ0सा01 ने पंकज अ0सा06 द्वारा थाने पर बताये जाने के आधार पर ही एफ.आई.आर. लिखाया जाना बताया है। एफ.आई.आर. प्र0पी-1 में भी मुकेश अ0सा01 के साथ पंकज अ0सा06 का आहत अवस्था में उपस्थित होना बताया है। अतः फरियादी के साथ आहत एफ.आई.आर. कराते समय उपस्थित था और पंकज अ0सा06 द्वारा दिए कथन में भी एफ.आई.आर. प्र0पी-1 से कोई सारभूत भिन्नता स्पष्ट नहीं हुई है। एफ.आई.आर. प्र0पी-1 सारभूत साक्ष्य नहीं है और मात्र संपुष्टिकारक साक्ष्य है। एफ.आई.

आर. प्र०पी-1 भी घटना के मात्र दो घण्टे बाद ही दर्ज करा दी गयी है और घटनास्थल से थाने की दूरी पांच किलोमीटर है। अतः ऐसी दशा में उक्त विलम्ब तात्त्विक नहीं रहता है जोकि फरियादी आहत की पश्चातवर्ती सोच निर्मित करने के लिए पर्याप्त हो। अतः आहत की उपस्थिति फरियादी द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने से एफ.आई.आर. प्र०पी-1 की कार्यवाही जोकि मात्र संपुष्टिकारक साक्ष्य है की विश्वसनीयता विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **मेघाजी गोदादजी बनाम गुजरात राज्य 1993 कि.लॉ.ज. 730 एवं भगवानसिंह बनाम म.प्र. राज्य (2002)4 एस.सी.सी. 85** में अभिनिर्धारित किया गया है कि एफ.आई.आर. का मुख्य उद्देश्य दण्ड विधि को गति में लाना है और अपराध की इत्तला देना है। अतः अपराध की सूचना आहत की उपस्थिति में अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाने से भी अभियोजन मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

18. दिनेश अ०सा०४ ने पैरा 3 में कथन किया है कि पंकज अ०सा०६ के पैरों में चोट थी। दिनेश अ०सा०४ ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसने कथन प्र०डी-3 में यह लिखा दिया था कि अमृतलाल फर्शा लिए था जबकि उक्त तथ्य का कथन प्र०डी-3 में लोप है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर यह साक्षी कारण बताने में असमर्थ रहा है और दिनेश अ०सा०४ ने कथन किया है कि अमृतलाल कुल्हाड़ी लिए था या नहीं वह नहीं बता सकता। जबकि इस साक्षी के कथन प्र०डी-3 में अमृतलाल का कुल्हाड़ी लेकर आना बताया गया है। दिनेश अ०सा०४ ने पैरा 4 में कथन किया है कि लीलाधर ने पंकज अ०सा०६ के पैर में सरिया मारा था लेकिन कौन से पैर में सरिया मारा था वह नहीं बता सकता। गौरव अ०सा०२ ने पैरा 6 में कथन किया है कि पंकज अ०सा०६ को अमृतलाल ने कुल्हाड़ी धार की तरफ से मारी थी और पंकज अ०सा०६ को 10-12 चोटें थीं और 8-10 चोटों में से खून निकल रहा था और पंकज अ०सा०६ सरिया पड़ने पर बेहोश हुआ था। उसे याद नहीं है कि सरिया कौन से पैर में मारा था और उसे नहीं पता कि पंकज अ०सा०६ को फिर कब होश आया था। गौरव अ०सा०२ ने पैरा 6 में कथन किया है कि अमृतलाल ने पंकज अ०सा०६ के माथे पर दाहिनी तरफ कुल्हाड़ी मारी थी जिसका लोप कथन प्र०डी-2 में है परन्तु सिर में लाठी मारे जाने का तथ्य उल्लिखित है। दिनेश अ०सा०४ व गौरव अ०सा०२ के कथन में आये उक्त तथ्य महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं हुई है।

19. पंकज अ०सा०६ ने पैरा 3 में कथन किया है कि अमृतलाल ने कुल्हाड़ी सामने से मारी थी कुल कितनी लाठी और सरिया पड़े उसे होश नहीं था। उसे जो दांये पैर में सरिया मारा था उससे खून निकल आया था। पंकज अ०सा०६ ने पैरा 4 में कथन किया है कि उसने कथन प्र०डी-5 में बता दिया था कि दाहिने पैर में सरिया मारा जिससे खून निकल आया था। कथन प्र०डी-5 में पैर में सरिया मारने वाली बात लिखी है। मात्र दाहिना पैर तथा खून निकलने की बात का उल्लेख नहीं है। पंकज अ०सा०६ ने पैरा 4 में कथन किया है कि उसने कथन प्र०डी-5 में बेहोश होने की बात एवं घटना के समय अकेले होने की बात लिखा दी थी उक्त तथ्य का लोप होने का यह साक्षी कारण बताने में असमर्थ रहा है। पंकज अ०सा०६ ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके दाहिने पैर में चोट नहीं थी और कथन किया है कि चोट घुटने के नीचे थी। पंकज अ०सा०६ ने इंकार किया है कि उसे

मोटरसाइकिल से गिरने से चोट आई थी। मुकेश अ0सा01 ने पैरा 3 में कथन किया है कि पंकज अ0सा06 के शरीर पर 7-8 चोटें थी एक सिर में एक दाहिने पैर में दोनों बांहों में और पीठ पर चोट थी। मुकेश अ0सा01 यद्यपि घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना स्पष्ट नहीं हुआ है और न ही अभियोजन का यह मानना है कि वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी था परन्तु मुकेश अ0सा01 के कथन इस हेतु सुसंगत है और प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं कि उसने घटना के तुरंत बाद आहत पंकज अ0सा06 को चोटें देखी थी जिससे धारा 7 साक्ष्य अधिनियम के अधीन विवाद्यक तथ्यों के परिणाम के तथ्य इस साक्षी द्वारा स्पष्ट किए जाने से मुकेश अ0सा01 के कथन सुसंगत व महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं।

20. पंकज अ0सा06 ने स्पष्ट कथन किया है कि अमृतलाल ने उसे सामने से कुल्हाड़ी मारी थी और उसके दांये पैर में सरिया पड़ा था। डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 द्वारा चोट क्रमांक 1,2,3 सिर व चेहरे में कटे हुए घाव के रूप में उल्लिखित है परन्तु दांये पैर में कोई चोट उल्लिखित नहीं की गयी है। अतः पंकज अ0सा06 द्वारा दांये पैर में उपहति के संबंध में दी गयी साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है परन्तु अमृतलाल द्वारा सिर में कुल्हाड़ी मारा जाना और सिर में आई उपहति की संपुष्टि डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 के कथन से भी होती है। डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 ने पैरा 2 में भी स्पष्ट कथन किया है कि उक्त चोट क्रमांक 1 लगायत 3 लाठी जैसी वस्तु से नहीं आ सकती है और पंकज अ0सा06 किसी धारदार वस्तु पर गिर गया हो तो ऐसी चोटें आ सकती हैं। लेकिन पंकज अ0सा06 को दिए गए सुझाव के संबंध में चिकित्सक को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि पंकज अ0सा06 मोटरसाइकिल से गिरा हो। स्वयं पंकज अ0सा06 ने कथन किया है कि सभी आरोपीगण ने लाठी देना शुरू कर दिया था और फिर उसे होश नहीं था कि किसने मारा। उक्त तथ्य अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है और अन्य चोट क्रमांक 4, 6, व 7 भी डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 के अभिमतानुसार कठोर व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। अतः आहत पंकज अ0सा06 की अन्य चोटों की संपुष्टि भी चिकित्सीय साक्ष्य से होती है।

21. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 ने पैरा 2 में कथन किया है कि पंकज अ0सा06 पुलिस के साथ नहीं आया था और वह मुकेश अ0सा01 के साथ आया था और पैरा 3 इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने आहत से मिलकर मेडीकल परीक्षण तैयार किया है। और यह भी स्वीकार किया है कि मेडीकल परीक्षण का समय रिपोर्ट प्र0पी-3 में अंकित नहीं किया गया। रिपोर्ट प्र0पी-3 भी डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 द्वारा साबित की गयी है और वह घटना दिनांक की ही है और चिकित्सक को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि चोटें दुर्घटना में या स्वकारित हो सकती हैं। अतः आहत पंकज अ0सा06 के शरीर में आई सात चोटें और तदोपरांत उसे उच्चतर स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार हेतु भेजे जाने पर मात्र इस तथ्य के आधार पर कि आहत पुलिस के साथ नहीं आया था चिकित्सीय परीक्षण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। आहत को लाये जाने पर उसका प्रथमतः परीक्षण किए जाने से उपचार की प्रक्रिया संदेहास्पद नहीं होती है।

22. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 ने पंकज अ0सा06 के पीठ में दांतों से काटने का निशान बताया है और पैरा 4 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि किसके द्वारा काटा गया होगा। स्वयं आहत व किसी अन्य साक्षी ने भी पंकज अ0सा06 की पीठ में दांतों से काटा जाना नहीं बताया है। पंकज अ0सा06

ने भी कथन किया है कि वह मारपीट में ही बेहोश हो गया था और डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०३ ने बताया है कि परीक्षण के समय वह अर्द्ध बेहोशी की हालत में था। अतः आहत द्वारा परीक्षण में उल्लिखित उक्त एक चोट को न्यायालयीन साक्ष्य में न बताये जाने से अन्य सभी चोटें संदेहास्पद नहीं हो जाती हैं।

23. केशवदत्त अ०सा०५ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 व 3 में स्वीकार किया है कि मुकेश अ०सा०१ ने उसे कथन प्र०डी-1 में बताया था कि मुकेश अ०सा०१ ने उसे घटना की सूचना दी और दिनेश अ०सा०४ व गौरव अ०सा०२ के भी संबंध में सुझाव दिए गए हैं परन्तु उपरोक्त विवेचना अनुसार दिनेश अ०सा०४ व गौरव अ०सा०२ घटना के प्रत्यक्ष साक्षी स्पष्ट नहीं हैं और मुकेश अ०सा०१ ने भी न्यायालयीन साक्ष्य में ही दूरभाष से घटना की जानकारी प्राप्त होना बताया है। नक्शामौका प्र०पी-2 भी मुकेश अ०सा०१ की निशादेही पर ही केशवदत्त अ०सा०५ द्वारा बनाया जाना बताया है परन्तु उक्त स्थान घटनास्थल नहीं था यह बचाव पक्ष संदेहास्पद प्रतीत नहीं कर सका है। अतः जबकि मुकेश अ०सा०१ स्वयं घटनास्थल पर गया था। जहां से वह आहत को लाया था तब उसकी निशादेही पर नक्शामौका प्र०पी-2 बनाये जाने से नक्शामौका की कार्यवाही संदेहास्पद नहीं होती है। केशवदत्त ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से कोई सामान जप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण में कुल्हाड़ी व सरिया व लाठी जप्त नहीं है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा Criminal Appeal No. 743 of 2004 एवं Criminal Appeal No. 220 of 2006 TITLE Sattar Sk Versus STATE OF WEST BENGAL Judgement date 15-03-2016 में समान तथ्यों पर निष्कर्ष दिया गया है कि It is true that the IO could not seize the offending weapon. It transpires from the evidence that after the incident those accused persons fled away from that spot. Secondly eye- witnesses stated that the victim was assaulted by a bhojali, which is a sharp cutting weapon. Post mortem report speaks that the victim was assaulted with a sharp cutting weapon. Therefore, when the ocular evidence is there, mere non-seizure of offending weapon is not fatal for the prosecution. वर्तमान मामले में भी प्रत्यक्ष साक्षी ने स्पष्ट रूप से कुल्हाड़ी मारा जाना बताया है जोकि काटने का उपकरण है चिकित्सक ने भी काटने के उपकरण की चोट का उल्लेख किया है। अतः जबकि विवेचक ने काटने का उपकरण जप्त नहीं किया है तब उपरोक्त न्यायदृष्टांत पर वर्णित परिस्थितियों के अनुसार चक्षुदर्शी साक्ष्य से स्पष्ट होने के परिणामस्वरूप हथियार का जप्त न होना अभियोजन मामले को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है।

24. अतः पंकज अ०सा०६ द्वारा स्वयं को अमृतलाल द्वारा कुल्हाड़ी से उपहति पहुंचाये जाने व अन्य आरोपीगण द्वारा भी उपस्थित होकर आरोपी की मारपीट में भाग लिए जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किया गया है। न्यायदृष्टांत **मदनसिंह उर्फ हरभजनसिंह बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2011 सु. को. 2552** में प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के आधार

अभिलेख पर न हों। वर्तमान मामले में भी आहत पंकज अ0सा06 द्वारा दिए गए कथन की संपुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 के कथन से होती है और उपरोक्तानुसार मुकेश अ0सा01 के कथन भी घटना के पश्चातवर्ती परिणामों के संबंध में सुसंगत हैं। अतः पंकज अ0सा06 के कथन पर अविश्वास किए जाने का बचाव पक्ष कोई कारण स्पष्ट नहीं कर सका है।

25. अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्तों के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में पंकज अ0सा06 को धारदार उपकरण से स्वेच्छा उपहति कारित की।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 03 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

26. पंकज अ0सा06 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण ने उससे बातचीत नहीं की और बिना बात के मारपीट शुरू कर दी। दिनेश अ0सा04 ने कथन किया है कि मारपीट के अलावा और कुछ नहीं हुआ था धमकी के बारे में उसे याद नहीं है। गौरव अ0सा02 ने कथन किया है कि जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो आरोपीगण ने मां-बहन की गालियां दी थीं। गौरव अ0सा02 ने पैरा 6 में कथन किया है कि उसे भी चारों आरोपीगण ने गाली दी थी। मुकेश अ0सा01 ने इस संबंध में मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना या जान से मारने की धमकी दिया जाना पंकज अ0सा06 ने उसे बताया था।

27. अतः गौरव अ0सा02 के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी तथा स्वयं आहत पंकज अ0सा06 ने इस आशय का कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने अश्लील गालियां दी हों अथवा जान से मारने की धमकी दी हो अथवा पंकज अ0सा06 का रास्ता रोका हो। गौरव अ0सा02 की उपरोक्त विवेचना अनुसार घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं हुई है।

28. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहता है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक 15.10.10 को 10:30 बजे नदीग्राम सिरसौदा सार्वजनिक स्थान पर पंकज अ0सा06 को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया तथा आरोपीगण ने पंकज अ0सा06 को सदोष अवरोध कारित किया तथा आरोपीगण ने पंकज अ0सा06 को संत्रास पहुंचाने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

29. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर आरोपीगण को धारा 294, 341, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

30. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं और उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।

31. अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपीगण ने पूर्व रंजिश के आधार पर पंकज अ0सा06 जबकि वह अकेला था उसकी एकसाथ मारपीट कर 7 चोटें पहुंचाई हैं जिनमें से तीन कटी हुई चोटें हैं।

अतः आरोपीगण का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा रहा है।

32. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही / —

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

33. आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा आरोपीगण को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया गया। आरोपीगण नवयुवक हैं और उनकी पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है यह उनका पहला दोषसिद्ध अपराध है।

34. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास और 800—800/—रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने में व्यतिक्रम की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।

35. धारा 357 द.प्र.स. के अधीन अर्थदण्ड में से क्षतिपूर्ति राशि दो हजार रुपये आहत पंकज अ0सा06 को अपील अवधि पश्चात संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

36. प्रकरण में आरोपीगण निरोध में नहीं रहे हैं इस संबंध में धारा 428 द.प्र. स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

दिनांक :—

सही / —

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0